न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 168 / 2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2014 / 00050

वादीयागण

1 मफीदेवी पुत्री मूलाराम धर्मपत्नी गोवदाराम, जाति–कलबी

2 तलसी पुत्री मूलाराम धर्मपत्नी नरेन्द्र कुमार, कौम–कलबी, निवासीगण–पहाड़पुरा, हाल–सांचौर, तहसील–सांचौर

प्रतिवादीगण

1 राणाराम पुत्र मूलाराम

2 वदू बेवा मूला

3 संतोक देवी पत्नी गलाराम

4 उमाराम पुत्र अजबाराम

सभी जातियान–कलबी, निवासीगण–पहाड़पुरा, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

5 उप पंजीयक सांचौर

6 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

7 छोगा पुत्र वीरमा

8 टीकमा पुत्र वीरमा, कौम–नाई, निवासी–पहाड़पुरा, तहसील–सांचौर

9 ईसराराम पुत्र देवजीराम जाति–कलबी, निवासी–गंगासर (अचलपुर), तहसील–सांचौर

10 महेन्द्र पुत्र दौलाराम जाति–चौधरी, निवासी–सांचौर

11 डुंगराराम पुत्र भलाराम जाति–कलबी, निवासी–गंगासरा (अचलपुर), तहसील–सांचौर

12 तेजाराम पुत्र वालारामजी जाति–कलबी, निवासी–गरडाली

13 गणेशाराम पुत्र प्रागारामजी जाति–माली, निवासी–सिलोसन

14 अर्जुन पुत्र भगारामजी, जाति–पुरोहित, निवासी–भड़वल, तहसील–सांचौर

15 वोहता पुत्र जेता, जाति–कलबी निवासी–पहाड़पुरा, तहसील–सांचौर

16 बाबूदेवी पत्नी हरिराम, जाति–

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रैक) सांचौर

बिश्नोई, निवासी–मन मोहन पार्क

सांचौर, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजू :– 19.08.2009

उपस्थिति :–

1. वादीयागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1, 2, 13, 14 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाधुसिंह किलवा उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 4 (अ, ब, स, द, ई) की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
4. प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7, 8 (अ से ई), 15 एकपक्षीय कार्यवाही।
5. प्रतिवादी संख्या 9, 10, 11, 12 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुरूषोत्तम दवे उपस्थित।
6. प्रतिवादी संख्या 16 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धवलचन्द बिश्नोई उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 25/2/2026

वादीयागण द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया जो बाद कार्यालय टिप्पणी वाद दर्ज रजिस्टर किया गया जिसके संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा पहाड़पुरा, पटवार क्षैत्र गोलासन में हम वादीयागण के बापदादा की पुश्तैनी भूमि खसरा नंबर 124 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 125 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 126 रकबा 3.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 238 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नंबर 349 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नंबर 350 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 352 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 353/748 रकबा 4.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 684 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नंबर 701 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 702 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 703 रकबा 2.31 हैक्टेयर, खसरा नंबर 704 रकबा 2.97 हैक्टेयर, खसरा नंबर 563 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 564 रकबा 2.61 हैक्टेयर, खसरा नंबर 565 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 566 रकबा 2.61 हैक्टेयर जुमले रकबा 20. 12 हैक्टेयर का आया हुआ है जो दावे के विचाराधीन के दौरान नर्मदा नहर परियोजना सांचौर में खसरा नंबर 703 में से रकबा 0.4120 हैक्टेयर अवाप्त होने पर शेष आराजी का खसरा नंबर 1052/703 रकबा 1.89 हैक्टेयर सृजित किया गया। इसी प्रकार तत्कालीन वाद प्रस्तुत के खसरा नंबर 704 रकबा 2.97 हैक्टेयर में से रकबा 0.4120 हैक्टेयर अवाप्त होने पर शेष आराजी का खसरा नंबर 1054/704 रकबा 2.55 हैक्टेयर सृजित किया गया। इसी ग्राम के खसरा नंबर 563 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 564 रकबा 2.61 हैक्टेयर, खसरा नंबर 565 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 566 रकबा 2.61 हैक्टेयर इस खाते का कुल रकबा 5.24 हैक्टेयर में हम वादीयागण का 1/12 हिस्सा पुश्तैनी, शांतिपूर्ण कब्जाकाश्त का आया हुआ है। इस प्रकार वाद के विचाराधीन के दौरान वाद की विषयवस्तु के खसरों में परिवर्तन भूमिधारी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

द्वारा किया गया है जिसमें हम वादीयागण प्रत्येक का 1/12 हिस्सा पुश्तैनी शांतिपूर्ण कब्जाकाश्त का आया हुआ है। उक्त आराजी को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित किया जाएगा। वादग्रस्त आराजी का लगान पुश्तैनी रूप से हम वादीयागण अदा करते आ रहे तथा गिरदावरी भी हमारे नाम तज्वीज होती आ रही है। वादीयागण के पिता मूला वाद प्रस्तुत से सात–आठ वर्ष पूर्व फौत हो चुके थे जिनके निर्वसीयती फौत होने पर उनकी संपति मे मूला के हम चार पुत्र–पुत्री व पत्नी का बराबर हक हिस्सा राजस्व अभिलेख मे दर्ज करना था, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व ऐजेन्सी से भारी सांठ–गांठ कर हमें अपने पुश्तैनी हक से वंचित करने के लिए स्व. मूला के फौत की नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त हम वादीयागण का नाम दर्ज नहीं किया तथा प्रतिवादी राणा अकेले के नाम अवैध व विधिविरूद्ध तरीके से दर्ज कर दिया, जिससे राणा अकेले को कोई हकहकूक व स्वत्व हासिल नहीं होते है। उसके बावजूद भी इनका अकेले का नाम दर्ज किया है, जो ऐसा इन्द्राज हर सूरत में अपास्तनीय योग्य है। स्व. मूला के फौत होनें पर हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम में विहित प्रथम अनुसूची के हम वादीयागण वारिस व हकदार थे उसके बावजूद भी बिना किसी प्रकार की जांच किये तथा हम वादीयागण को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रतिवादी संख्या 1 राणा ने राजस्व एजेन्सी से सांठ गांठ कर हमारा नाम हमारी पुश्तैनी भूमि में दर्ज नहीं कर हमें अपनें हकों से हमेशा के लिए वंचित कर दिया, जिससे ऐसा करने का कोई उन्हें कानूनी अधिकार नहीं था। इस प्रकार वादग्रस्त संपूर्ण भूमि में हम वादीयागण का प्रत्येक का 1/12 हिस्सा यानि कुल 3.35 हैक्टेयर भूमि पर हम वादीयागण का शांतिपूर्ण कब्जाकाश्त है। हमारे पिता मूला के फौत होने पर पुत्र पुत्री व पत्नी का बराबर हक पानें के कानूनी अधिकारी होने से हम वादीयागण उपरोक्त हिस्से की भूमि के खातेदारी हक पानें के अधिकारी होने से दावा हाजा पेश है। वादग्रस्त भूमि का अभी तक विधिवत भू–विभाजन होना शेष है, जिससे प्रत्येक कण–कण में हम वादीयागण का पुश्तैनी हक हकूक व कब्जाकाश्त है। ऐसी सूरत में प्रतिवादी संख्या 1 राणा व 2 वदू को हमारी पुश्तैनी भूमि बैचान करनें का कोई अधिकार नहीं है, उसके बावजूद भी येन केन प्रकारेण वदू व राणा ने उक्त भूमि को अवैध विधिविरूद्ध तरीके से बेचान कर भू–माफिया के गिरोह से जबरन अपनी मनमर्जी अनुसार कब्जा करवाना चाहते है। जिससे हम महिलाओं को काश्त करने में भारी दुविधा पैदा होगी। ऐसी सूरत में हम वादीयागण के कब्जेकाश्त में कोई भी व्यक्ति दखलंदाजी न करें एवं न ही कोई कब्जा करें, कि खरीददार डुंगराराम, महेन्द्र, तेजाराम, गणेशाराम, अर्जून, ईसरा अभी दिनांक 21.01.2016 को वादग्रस्त आराजी पर आये तथा उक्त आराजी में जबरन बिना विभाजन कराए कब्जा करने की धमकी दी तथा ऐलानियां धमकियां दी कि वादग्रस्त भूमि से कब्जा खाली करो नहीं तो हम जबरन कब्जा करेंगे। इस प्रकार संयुक्त भूमि में अजनबी व्यक्ति है जो वाद के लंबित व स्थगन के दौरान अवैध व गैर कानूनी रूप से बेचाननामा करवाया है जिससे इस हालत में वादीगण की भूमि में खरीददार अजनबी व्यक्ति उक्त आराजी में प्रवेश करनें, कब्जा करने का अधिकार नहीं रखते है, जिससे खरीददार अजनबी व्यक्ति के

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) साचौर

विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है कि वादग्रस्त आराजी के वादीगण शामलाती कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग में किसी तरह का दखल, बाधा न तो स्वयं करें तथा न ही अन्य किसी से करावे तथा न ही आराजी में कच्चा पक्का निर्माण कार्य करें तथा न ही करावे तथा उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं करें व करावे तथा न ही कोई संपरिवर्तन की कार्यवाही करावे न करें तथा खरीददार वादग्रस्त आराजी के संबंध मे आगे से आगे भूमि का बेचान, रहन, हस्तांतरण न करें व करावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें। अन्त में वादीयागण द्वारा मौजा पहाडपुरा के खेत खसरा संख्या 1052/703 रकबा 1.8950 हैक्टेयर, खसरा नंबर 124 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 125 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 126 रकबा 3.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 238 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नंबर 349 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नंबर 350 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 352 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 684 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नंबर 701 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 702 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 353/748 रकबा 4.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1054/704 रकबा 2.5550 हैक्टेयर, खसरा नंबर 563 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 564 रकबा 2.61 हैक्टेयर, खसरा नंबर 565 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 566 रकबा 2.61 हैक्टेयर जुमले रकबा 19.293 हैक्टेयर में प्रत्येक वादीयागण का 1/2 हिस्सा की भूमि मूला के निर्वसीयती फौत होने पर वादीयागण प्रथम अनुसूची की वारिसान् होने से वादीयागण उक्त भूमि में हक हकूक पाने की अधिकारिणी है तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 2 का वादग्रस्त भूमि में अवैध व गैर कानूनी रूप से दर्ज हुए हिस्से का इन्द्राज अपास्त फरमावें तथा वाद लंबित के दौरान स्थगन आदेश होते हुए प्रतिवादी ने बेचान किया है जो बेचान अवैध व शून्य प्रभावी करार दिया जावें तथा हमारे कब्जे काश्त में दखलंदाजी न करें तथा हिस्से व मौके पर काबिज अनुसार मिट्स एण्ड बाण्उड्स के आधार पर बंटवाड़ा की डिक्री सादिर फरमावें।

प्रकरण में दिनांक 29.03.2011 को प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के सम्मन तामिल प्राप्त हुए तथा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र पुरोहित ने वकालतनामा पेश किया व दिनांक 12.02.2013 को प्रार्थी ईशराराम, महेन्द, तेजाराम, डूंगराराम की ओर से आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र पेश किया तथा दिनांक 03.09.2013 को प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री तुलसीदास जोशी ने वकालातनामा पेश किया व प्रकरण में जवाब एवं काउण्टर क्लैम पेश किया है जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वांके सरहद मौजा पहाड़पुरा के खसरा संख्या 124, 125, 126, 238, 349, 350, 352, 353/748 684, 701, 702, 703, 704, 563, 564, 565, 566 जुमले रकबा 20.12 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जो वादीया की पुश्तेनी भूमि नहीं है। वादीया संख्या 1 एवं 2 गेलेण्ड संतान है जिनका उक्त भूमि में किसी कदर कोई हक हकूक न तो था एवं न ही है। वादीयागण गेलेण्ड संतान होने से उनका उक्त भूमि में 1/12 हिस्सा या 3.55 हैक्टेयर भूमि होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादीयागण के नाम से किसी भी साल की

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

गिरदावरी नही है न ही वादीयागण ने कभी बिगोडी अदा की है। वादीयागण की शादी कई अर्से पूर्व हो चुकी है। वादीयागण का काश्त एवं कब्जा उनके ससुराल में उनके पति की भूमि के साथ है। प्रतिवादी उमा ने अन्य संयुक्त खातेदारान् के विरूद्व दावा बाबत खातेदारी, बंटवाड़ा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान की अदालत में दिनांक 03.08.2010 को पेश किया हुआ है जो वाद श्रीमान की अदालत में जैर तजवीज है। इस दौरान वादीयागण ने आधारहीन व झूठा वाद समान पक्षकारान् को लेकर समान विषयवस्तु को लेकर दिनांक 24.02.2011 पेश किया जो गलत है तथा कानूनी प्रावधान अनुसार वादीयागण द्वारा पेश किया गया वाद सी.पी.सी. की धारा 10 से बाध्य होने से चलने योग्य नहीं है। मुझ वदु के पुत्र राणा को झूठे मुकदमें में फसाया हुआ है तथा राणा जेल में होने कारण वदु को दबाव देकर मेरी भूमि हड़प करने की नियत से प्रार्थीयागण ने यह आधारहीन व झूठा वाद पेश किया है। प्रतिवादीया वदु स्वस्थ हूं सोच समझने की क्षमता है। अवतरण में सारे तथ्य गलत लिखे हुए होने से वादीयागण का वाद खारिज योग्य है।

दिनांक 29.10.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई ने वकालातनामा पेश किया तथा हस्तगत प्रकरण माननीय जिला कलक्टर महोदय जालोर के आदेश दिनांक 02.06.2014 की पालना में पत्रावली इस न्यायालय को स्थानान्तरित हुई। प्रकरण में दिनांक 05.01.2016 को प्रार्थी ईशराराम वगैरह की ओर से प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 स्वीकार किया गया, दिनांक 27.06.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क ओर से अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई ने जवाब पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीयागण की पुश्तैनी भूमि ग्राम पहाड़पुरा में नहीं है न ही कभी रही है। वाद के अवतरण संख्या 1 में दर्शायी गई भूमि 20.12 हैक्टेयर में वादीयागण का कोई हकहकूक नहीं है न ही वादीयागण ने कभी इस भूमि का लगान ही अदा किया है न ही उसके नाम से कभी गिरदावरी दर्ज हुई है। वादीयागण का इस भूमि पर कभी कोई यदि हक व कब्जा होता तो उसके नाम का लगान भरा जाता है व उसके नाम से गिरदावरी दर्ज होती परन्तु वादीयायगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में ऐसी कोई गिरदावरी वगैरह पेश नहीं की है इससे साफ है कि वादीयागण का इस पर कोई हकहकूक नहीं है। वादीयागण अपने को मूला का उतराधिकारीणी बता रही है जो एक मौखिक कथन है, ऐसा कथन किसी के बारे में कोई आम व्यक्ति कर सकता है जबकि वादीयागण ने अपने वाद के समर्थन में व मूला की उतराधिकारीणी होने के समर्थन में कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिसके आधार पर वादीयागण को मूला की उतराधिकारीणी कहा जा सके। वादीयागण ने अपने वाद के समर्थन में मुख्य दस्तावेज मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड इत्यादि ऐसे दस्तावेज है, जो हर व्यक्ति के पास होना संभव है व उसके आधार पर हर व्यक्ति की पहचान होती है जो एक प्रथम स्तर के आवश्यक दस्तावेज है वो भी वादीया ने पेश नहीं किए है, जिसके आधार पर वादीयागण मूला की उतराधिकारीणी साबित हो सके इसलिए वादीयागण को वादग्रस्त आराजी में कतई हकदार नहीं कहा जा सकता व मूला के

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

फौत होने के बाद दस साल तक हमारे नाम शांतिपूर्ण खातेदारी रही फिर भी वादीयागण यदि मूलाजी की उतराधिकारीणी होती तो कार्यवाही अवश्य करते परन्तु नहीं की है जब इतने लंबे अंतराल के बाद बिना सक्षम न्यायालय के उतराधिकार तय करवाए हक प्राप्त करने का वाद पेश करने पर वादीयागण को कोई अधिकार नही है। वादीयागण उतराधिकार तय करवाए बिना कोई हक हासिल नही कर सकती। यह अधिकार सिविल न्यायालय को है जहां पहले वादीयागण उतराधिकार तय करवाये व उसके आधार पर यदि उसका उतराधिकार में हक बनता है तो हक की घोषणा के लिए वाद पेश करें। वादीयागण ने बिना उतराधिकार तय करवाए सीधा वाद पेश किया है जो काबिल खारिज है। वादीयागण वादग्रस्त आराजी की सहखातेदार ही नहीं है इसलिए भू-विभाजन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता न ही वादीयागण का वादग्रस्त आराजी से कोई सरोकार है। वादीयागण ने निराधार व बेबुनियाद विधि विपरित वाद पेश किया है जिसमें वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार को भी पक्षकार बनाए बिना घोषणा व बंटवाड़ा का वाद पेश किया है जो कतई पोषणीय नहीं है, क्योंकि खेत खसरा संख्या 563, 564, 565, 566 जुमले रकबा 5.24 हैक्टेयर भूमि में हिस्से में वोहता वल्द जेता कौम कलबी खातेदार है, जबकि उन्हें वाद में कोई पक्षकार नहीं बनाया गया है न ही उन्हें सुना गया है। इसी कदर खाता संख्या 146 के खसरा संख्या 704 में से 0.426 हैक्टेयर भूमि का खरीददार इसराराम पुत्र देवजीराम कलबी साकिन गंगासरा व महेन्द्र पुत्र दौलाराम जाति चौधरी निवासी सांचौर क्रेता है जिन्होंने दिनांक 30.06.2010 को इस भूमि को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था व अलग से काबिज है जबकि वाद दिनांक 24.02.2011 को लिखा जाकर पेश किया है इससे पूर्व महेन्द्र व इसराराम भी इस भूमि के सहखातेदार थे जिन्हें वाद में कोई पक्षकार नहीं बनाया गया है, उसके अभाव में दावा कतई पोषणीय नहीं है अतः दावा खारिज फरमावें।

प्रकरण में दिनांक 20.02.2020 को प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लैम पेश किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 704 में से हम प्रतिवादीगण ने संयुक्त रूप से जरिये रजिस्ट्रर्ड बैचान दस्तावेज के दिनांक 30.06.2010 व 26.07.2010 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से उनका संपूर्ण हिस्से की भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था, उक्त दस्तावेज आज दिनांक तक प्रभावी है, जिसको शून्य घोषित करने का अधिकार मात्र सिविल कोर्ट को है, किन्तु वादीया राजस्व न्यायालय के जरिये उक्त दस्तावेज को निष्प्रभावी करवाना चाहती है जो कानूनीया पोषणीय नहीं है। ऐसे प्रकरण को सुनने का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है एवं उक्त दावा मय प्रार्थना-पत्र विधि के सुस्थापित नियमों के विपरित होने से स्वतः काबिल खारिज है। वादीया मूला की संतान नहीं होने से उसका नामान्तरकरण मे इन्द्राज नहीं हुआ, न ही वादीया का वादग्रस्त आराजी में कभी कब्जा काश्त रहा, ऐसी सूरत में वादीया को धमकी देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा प्रतिवादी संख्या 9, 10, 11 द्वारा दिनांक 30.06.2010 व 26.07.2010 को खसरा नंबर 704 में से 0.852 हैक्टेयर भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था तो दिनांक 23.02.2011 को वादीयागण को धमकी देने का सवाल ही पैदा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

नही होता है। इस प्रकार विनायवाद के अभाव में वादीयागण का वाद चलने योग्य नहीं होने से काबिल खारिज है।

प्रकरण में दिनांक 20.02.2020 को प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लैम पेश किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त वादग्रस्त आराजी के खसरा नंबर 124, 125, 126, 238, 349, 350, 352, 353/748, 684, 701, 702, 703 जुमले रकबा 11.91 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 2 का संपूर्ण हिस्सा अर्थात् 1/6 हिस्सा एवं खसरा संख्या 563, 564, 565, 566 जुमले रकबा 5.24 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 02 का संपूर्ण हिस्सा अर्थात् 1/24 हिस्सा का मैं प्रतिवादी संख्या 12 सद्भावी क्रेता होने से मेरा संयुक्त कब्जा काश्त है जो मैंने दिनांक 24.02.2011 को जरिये रजिस्टर्ड बैचान दस्तावेज के मोल खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था। उक्त दस्तावेज आज दिनांक तक प्रभावी है, जिसको शून्य घोषित करने का अधिकार मात्र सिविल कोर्ट को है किन्तु वादीया राजस्व न्यायालय के जरिये उक्त दस्तावेज को निष्प्रभावी करवाना चाहती है, जो कानूनीया पोषणीय नहीं है। ऐसे प्रकरण को सुनने का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है एवं उक्त दावा मय प्रार्थना–पत्र विधि के सुस्थापित नियमों के विपरित होने से स्वतः काबिल खारिज है। उक्त प्रार्थना–पत्र व दावा प्रस्तुत करते समय वादीया ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जो यह प्रमाणित करता हो, कि वादीया मूला पुत्र अजबा की जायन्दा पुत्री हो, यदि वादीया के पास ऐसा कोई ठोस प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, तो यह मामला हिन्दू विधि के तहत उतराधिकारी की घोषणा का मामला है, तथा ऐसे प्रकरण सुनने का अधिकार मात्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्राप्त है। इस प्रकार उक्त प्रार्थना–पत्र एवं दावा कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है। वादीया मूलाराम की सन्तान कतई नहीं है न ही उक्त आराजी में वादीया का नाम दर्ज है। वादीया का उक्त आराजी में कभी कब्जा काश्त नही रहा, इसलिए वादीया का उक्त दावा एवं प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्ट्या श्रवण योग्य नहीं होने से काबिल खारिज है। वादीयागण मूलाराम की सन्ताने नहीं होने से उपरोक्त वर्णित आराजी में वादीयागण का कोई हकहकूक या कब्जा टाईटल नहीं है, वादग्रस्त आराजी के खसरा नंबर 124, 125, 126, 238, 349, 350, 352, 353/748, 684, 701, 702, 703 जुमले रकबा 11.91 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 2 का संपूर्ण हिस्सा अर्थात् 1/6 हिस्सा एवं खसरा संख्या 563, 564, 565, 566 जुमले रकबा 5.24 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 02 का संपूर्ण हिस्सा अर्थात् 1/24 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 12 सद्भावी क्रेता होने से मेरा संयुक्त कब्जा काश्त है। वादीया वादग्रस्त आराजी की खातेदार नहीं रही है न ही मौके पर कब्जा काश्त है, उक्त आराजी से वादीया का कोई लेना–देना नहीं है एवं हमारे तथा आराजी के लिये एक अजनबी व्यक्ति है अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार है।

प्रकरण में दिनांक 17.02.2016 को वादीयागण की ओर से आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 1 नियम 10 का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो दिनांक 18.05.2016 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में तेजाराम, डूंगराराम, महेद्र, गणेशाराम, अर्जुन को

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया जिस पर प्रकरण में दिनांक 07.10.2016 को संशोधित वाद शीर्षक वादीयागण द्वारा पेश किया गया तथा दिनांक 28.10.2018 को प्रतिवादी गणेशाराम व अर्जुन कुमार की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द पुरोहित ने वकालतनामा पेश किया दिनांक 12.03.2018 को प्रतिवादी संख्या 3, 7, 15 अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा वादीयागण की ओर से आदेश 22 नियम 4 व आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जिसे दिनांक 15.03.2018 को स्वीकार किया गया।

प्रकरण में दिनांक 21.03.2018 को प्रतिवादी संख्या 4 उमाराम की ओर से बाद कन्सोलिडेट प्रार्थना–पत्र को नोट प्रेश किया गया तथा प्रतिवादी उमाराम के वारिसान् व बाबुलाल, दलपत, रमेश, चम्पालाल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रकरण में दिनांक 20.02.2020 को प्रतिवादी संख्या 10, 11 की ओर से जवाब पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 704 में से हम प्रतिवादीगण ने संयुक्त रूप से जरिये रजिस्ट्रर्ड बैचान दस्तावेज के दिनांक 30.06.2010 व 26.07.2010 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से उनका संपूर्ण हिस्से की भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था, उक्त दस्तावेज आज दिनांक तक प्रभावी है, जिसको शून्य घोषित करने का अधिकार मात्र सिविल कोर्ट को है, किन्तु वादीया राजस्व न्यायालय के जरिये उक्त दस्तावेज को निष्प्रभावी करवाना चाहती है जो कानूनीया पोषणीय नहीं है। ऐसे प्रकरण को सुनने का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है एवं उक्त दावा मय प्रार्थना–पत्र विधि के सुस्थापित नियमों के विपरित होने से स्वतः काबिल खारिज है। वादीया मूला की संतान नहीं होने से उसका नामान्तरकरण में इन्द्राज नहीं हुआ, न ही वादीया का वादग्रस्त आराजी में कभी कब्जा काश्त रहा, ऐसी सूरत में वादीया को धमकी देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा प्रतिवादी संख्या 9, 10, 11 द्वारा दिनांक 30.06.2010 व 26.07.2010 को खसरा नंबर 704 में से 0.852 हैक्टेयर भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था तो दिनांक 23.02.2011 को वादीयागण को धमकी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस प्रकार विनायवाद के अभाव में वादीयागण का वाद चलने योग्य नहीं होने से काबिल खारिज है।

प्रकरण में दिनांक 26.02.2020 को प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तत्पश्चात प्रकरण दिनांक 28.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 4 अ, ब, स, द, ई की ओर से आदेश 9 नियम 6, 7 व धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 21.03.2018 को अपास्त किया गया जिस पर दिनांक 19.07.2024 को प्रतिवादी संख्या 4 अ, ब, स, द, ई ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लैम पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पहाड़पुरा पटवार क्षेत्र गोलासन में वादीगण के बाप दादा की पुश्तैनी भूमि खसरा नंबर 124 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 125 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 126 रकबा

सहायक कलक्टर एवं [illegible] मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

3.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 238 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नंबर 349 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नंबर 350 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 352 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 353/748 रकबा 4.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 684 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नंबर 701 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 702 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 703 रकबा 2.31 हैक्टेयर, खसरा नंबर 704 रकबा 2.97 हैक्टेयर, खसरा नंबर 563 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 564 रकबा 2.61 हैक्टेयर, खसरा नंबर 565 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 566 रकबा 2.61 हैक्टेयर जुमले रकबा 20.12 हैक्टेयर का आया हुआ है जिसमें वादीयागण का प्रत्येक का 1/12 हिस्सा न होकर स्व. मूला के उतराधिकारियों का उपरोक्त आराजी में मात्र 5.395 हैक्टेयर भूमि पर ही हक हिस्सा व कब्जा काश्त है तथा रकबा 5.395 हैक्टेयर में वादीयागण प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा अवश्य आया हुआ है तथा उपरोक्त आराजी का हम सभी सहखातेदारान् के बीच पूर्व में कई दराज अरसे पूर्व आपसी बंटवाड़ा हो चुका है, जिसमें मूला के उतराधिकारी वादीया मफीदेवी, तलसीदेवी व प्रतिवादी राणाराम व वदू के हक में तथा बंटवाड़ा में खेत खसरा संख्या 353/748 में से रकबा 3.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 349 का पूरा का पूरा रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नंबर 350 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 352 का पूरा का पूरा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 563 पूरा का पूरा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 564 में से रकबा 1.305 जुमले रकबा 5.395 हैक्टेयर भूमि स्व. मूला के उतराधिकारी मफीदवी, तलसी, राणाराम व वदू के बंट में रखी तथा हम स्व. उमाराम के वारिसदारान् व उतराधिकारी के बंट में खसरा नंबर 125 में से रकबा 0.0350, खसरा नंबर 126 में से 1.935 हैक्टेयर, खसरा नंबर 704 में से 1.485 हैक्टेयर, खसरा नंबर 703 में से 1.155 हैक्टेयर, खसरा नंबर 353/748 में से 0.85 हैक्टेयर, खसरा संख्या 238 पूरा का पूरा रकबा 0.40 हैक्टेयर जुमले रकबा 5.86 हैक्टेयर बंट में रखी गई व इसी प्रकार स्व. गला के उतराधिकारी संतोक व ईसरा के बंट में खसरा नंबर 124 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 125 में से रकबा 0.0350 हैक्टेयर, खसरा नंबर 126 में से 1.935 हैक्टेयर, खसरा नंबर 684 पूरा का पूरा रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नंबर 704 में से 1.485 हैक्टेयर, खसरा नंबर 703 में से 1.155 हैक्टेयर, खसरा नंबर 702 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 701 रकबा 0.01 हैक्टेयर जुमले रकबा 4.94 हैक्टेयर भूमि बंट में रखी गई व इसी प्रकार पूर्व में किये गये बंटवाड़ा के अनुसार आज भी मौके पर हम सभी सहकाश्तकार काबिज है। प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार वादग्रस्त आराजी का आपसी बंटवाड़ा होकर हम प्रतिवादीगण ने मौके पर जुमले रकबा 5.86 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा प्राप्त किया तथा तब से लगातार आज दिन तक हम प्रवितादीगण का लगातार काश्त व कब्जा सहज व शांतिपूर्वक होने से स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक प्रतिवादीगण संख्या 4 अ, ब, स, द विरूद्व वादीयागण सादिर फरमावें। वादग्रस्त आराजी का प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार हम प्रतिवादीगण के बंट में रकबा 5.86 हैक्टेयर भूमि बंट में आने से तथा मौके पर हम प्रतिवादीगण का काश्त व कब्जा होने से प्रदर्श नक्शा 'अ' में वर्णित 5.86 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी की डिक्री प्रतिवादी संख्या 4 अ, ब, स, द के हक में सादिर फरमावें।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

प्रकरण में दिनांक 22.07.2024 को अधिवक्ता श्री धवलचन्द बिश्नोई ने प्रार्थीया बाबू देवी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश किया जिसे दिनांक 06.08.2024 को स्वीकार किया जाकर बाबूदेवी को प्रतिवादी संख्या 16 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया जिस पर प्रतिवादीया की ओर से दिनांक 02.09.2024 को जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पहाडपुरा के खेत खाता संख्या 56 के खसरा संख्या 563, 564, 565, 566 जुमले रकबा 5.24 हैक्टेयर व खाता संख्या 248 के खसरा संख्या 353/748 जुमले रकबा 4.03 हैक्टेयर, खाता संख्या 249 के खसरा नंबर 124, 125, 126, 238, 349, 350, 352, 684, 701, 702, 703 जुमले रकबा 7.88 हैक्टेयर की आराजी मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 13, 14 अर्जुन व गणेशाराम के कब्जाकाश्त व संयुक्त खातेदारी का दर्जसुदा आया हुआ है। उक्त आराजी में खाता संख्या 56 के खसरा संख्या 563, 565, 565, 566 जुमले रकबा 5.24 हैक्टेयर मे प्रतिवादी संख्या 13, 14 अर्जुन व गणेशाराम का संपूर्ण हिस्सा यानि 0.2183 खातेदारी का आया हुआ होने से व खाता संख्या 248 के खसरा संख्या 353/748 जुमले रकबा 4.03 हैक्टेयर में से प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 का संपूर्ण हिस्सा यानि 0.6166 हैक्टेयर खातेदारी का आया हुआ है एवं खाता संख्या 249 के खसरा नंबर 124, 125, 126, 238, 349, 350, 352, 684, 701, 702, 703 जुमले रकबा 7.88 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 13, 14 अर्जुन व गणेशा का संपूर्ण हिस्सा यानि 1.3133 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी का आया हुआ है। उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 रेकर्डेड खातेदार होने से प्रतिवादीगण संख्या 13, 14 ने उपरोक्त संपूर्ण आराजी से अपना संपूर्ण अंश मुझ प्रतिवादीया संख्या 16 बाबू देवी को जरिये बैचान दिनांक 19.02.2021 के बैचान कर मौके पर कब्जा मुझ प्रतिवादीया बाबू देवी को सुपुर्द कर दिया जो बदस्तूर है। वादी ने मनगंढत तथ्यों पर आधारित वाद पेश किया है जो काबिले खारिज है।

वादीयागण द्वारा प्रकरण में पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब उल जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 14.10.2024 को जवाब उल जवाब बंद किया गया तथा प्रकरण में दिनांक 04.11.2024 को तनकीयात कायम की जाकर एक्सप्लैन की गई।

1. आया मौजा पहाड़पुरा में वादियागण के पुश्तैनी भूमि खसरा संख्या 124, 125, 126, 238, 349, 350, 352, 353/748, 684, 701, 702, 703, 704, 563, 564, 565, 566 जुमले रकबा 20.12 हैक्टेयर भूमि वादीया की पुश्तैनी होने से तथा मूला के निर्वसियती फौत होने पर वादीयागण मूला की प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी होने से उपरोक्त आराजी में वादीयागण प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा होने से वादीयागण प्रत्येक 1/12, 1/12 हिस्से की खातेदारी की डिक्री पाने की हकदार है।

(जिम्मे वादी)

2. आया वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1, 2 का वादग्रस्त भूमि में अवैध व गैर कानुनी रूप से दर्ज हुआ हिस्सा व वाद के लंबित के दौरान व न्यायालय के स्थगन आदेश व कानुनी बाध्यता होते हुए प्रतिवादी को बेचान किया है जो ऐसा बेचान दस्तावेज अवैध व शुन्य है।

(जिम्मे वादीगण)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

3. आया वादग्रस्त आराजी का वादीयागण प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा पर काश्त व कब्जा होने से वादीया स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने की हकदार है।

(जिम्मे वादी)

4. आया वादीया अपने हिस्से व हक की भूमि का बाय मिट्स एण्ड बाण्डस के आधार पर बंटवाडा करवाने की अधिकारी है।

(जिम्मे वादी)

5. आया वादग्रस्त आराजी का इस वाद से पूर्व दिनांक 30.08.2010 को प्रतिवादी उमा द्वारा वाद पेश करने से वादी का वाद चल नहीं सकता।

(जिम्मे प्रतिवादी उमा)

6. आया वादीया ने रेकोर्डेड खातेदार ने पक्षकार नहीं बनाया है आवश्यक पक्षकार के अभाव में वादीया का वाद काबिल खारिज है।

(जिम्मे प्रतिवादी उमा)

7. आया प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार पक्षकारान के मध्य कई वर्षों पूर्व आपसी बंटवाड़ा हो जाने से तथा प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार मौके पर काश्त कब्जा होने से प्रतिवादी प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार बंटवाडा करवाने के हकदार है (जिम्मे प्रतिवादी उमा)

8. आया वादीयागण मूला की उत्तराधिकारीणी नहीं है।

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2)

9. आया वादीयागण द्वारा मूला की फौतेदगी के नामान्तकरण की अपील नहीं करने से वादीया का वाद चल नहीं सकता।

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2)

10. आया वादग्रस्त आराजी पर वादीया का काश्त कब्जा नहीं होने से कब्जे के अभाव में वाद काबिल खारिज है।

(जिम्मे ....)

11. आया वादीयागण मूला की जायन्दा संतान नहीं होने से वादीया का वाद चल नहीं सकता।

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 12)

12. आया वादीया द्वारा बेचान दस्तावेज दिनांक 24.09.2011 को किसी सक्षम न्यायालय में चेलेन्ज नहीं किया है जो बेचान दस्तावेज आज भी प्रभावित होने से वादीया का वाद काबिल खारिज है।

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 12)

13. आया वर्ष 2005 से पूर्व महिलाओं का पैतृक खातेदारी भूमि में कोई हक नहीं बनता है।

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 9, 10, 11)

14. आया वादीया का वाद म्याद बाहर होने से काबिल खारीज है।

(जिम्मे प्रतिवादीगण)

15. आया प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार वादग्रस्त आराजी का आपसी बंटवाड़ा होकर प्रतिवादी संख्या 4 अ, ब, स, द ई का रकबा 5.86 हैक्टेयर भूमि पर काश्त कब्जा होने से प्रतिवादीगण प्रदर्श नक्शा 'अ' में वर्णित रकबा 5.86 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी हक पाने के हकदार है।

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 4, अ, ब, स, द, इ)

16. आया प्रतिवादी संख्या 16 ने दिनांक 19.02.2021 को बेचान दस्तावेज के जरिये भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है तब से लगातार काश्त कब्जा प्रतिवादी संख्या 16 का खरीद की गई भूमि पर काश्त कब्जा होने से वादीया का वाद काबिल खारीज है।

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 16)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्ट्रेक) सांचौर

उपरोक्त तनकीयात कायम के पश्चात तनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 वादीयागण के जिम्मे होने पर वादीयागण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र माफीदेवी पीडब्ल्यू-1 पीडब्ल्यू-2 पदमाराम के ब्यान कलमबद्व करवाये गये प्रकरण में तनकी संख्या 6, 7, 8 प्रतिवादी संख्या 4 (अ,ब,स,द,ई) के जिम्मे व तनकी संख्या 9 लगायत 16 भी प्रतिवादीगण के जिम्मे की गई जिसके संबंध में प्रतिवादीगण की और से गवाह डीडब्ल्यू-1 बाबूदेवी के बयान कलमबद्व करवाये गये। प्रकरण में साक्ष्य बंद की जाकर उभयपक्षकारान की बहस अंतिम सुनी गई। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीयागण ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीयागण स्व. मूला वल्द अजबा की जायन्दा पुत्रियां है तथा मूला को एक पुत्र राणा व मूला की धर्मपत्नी वदू तथा हम वादीयागण चारों प्रथम श्रेणी के उतराधिकारीगण होने से तथा वादग्रस्त आराजी हम वादीयागण की पैतृक संपति होने से उक्त वादग्रस्त आराजी में स्व. मूला वल्द अजबा के हिस्से की भूमि में हम वादीयागण का प्रत्येक का 1/4, 1/4 यानि 1/2 हिस्सा बाय बर्थ हक होने से वादीयागण खातेदारी पाने की कानूनन अधिकारीणी है, किन्तु मूला की फौतेदगी के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अवैध तरीके से मूला के हिस्से की खातेदारी उनके अकेले के नाम दर्ज करवा दी व तत्पश्चात अपने हक से अधिकार भूमि वाद ट्रायल के दौरान अवैध तरीके से प्रतिवादी संख्या 9, 10, 11, 12, 13, 14 व अन्य को बेचान कर दी जो ऐसा अवैध बैचान दस्तावेज हम वादीयागण के लिए शुरू से ही शून्य प्रभावी होने से ऐसे बेचान दस्तावेज को शून्य प्रभावी करार देते हुए वादीयागण के नाम खातेदारी की घोषणा करते हुए मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर खातेदारी एवं बंटवाड़ा की डिक्री सादिर फरमावें।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीयागण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है जिसमें यह माना जावें कि वादीयागण मूला की पुत्रीयां हो तथा वादीयागण द्वारा उक्त वाद म्याद बाहर पेश किया गया है तथा वादीया द्वारा प्रकरण में सहखातेदार को पक्षकार संयोजित नहीं करने से तथा पक्षकार के अभाव में वादीया का वाद काबिल खारिज है। वादीया द्वारा हम प्रतिवादीगण के पक्ष में भरा गया नामान्तरकरण की अपील पेश नहीं की है तथा वादीया ने लम्बे अंतराल के पश्चात बिना किसी सक्षम न्यायालय के उतराधिकारी प्रमाण पत्र पेश किये बिना वाद पेश किया है जिसे खारिज किया जावें।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 (अ,ब,स,द,ई) के विद्वान अधिवक्ता ने अपने जवाबदावा व काउन्टर क्लैम के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि हम प्रतिवादीगण स्व. अजबा के वारिसान् है तथा अजबा के तीन पुत्र गला, मूला व उमा है तथा तीनों फौत हो चुके है तथा वादीयागण मूला की जायन्दा पुत्रीयां है किन्तु उपरोक्त वादग्रस्त आराजी का स्व. अजबा के तीनों पुत्रों के जीते जी भूमि अच्छी व हल्की के आधार पर आपसी मौखिक व भौतिक बंटवाड़ा कई वर्षों पूर्व हो चुका था तथा हम प्रतिवादीगण के बंट में प्रदर्श नक्शा 'अ' में वर्णित हरे रंग से दर्शायी गई कुल रकबा 5.86 हैक्टेयर बंट में रखी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर

गई तथा प्रतिवादी गला के वारिसान् इसरा वगैरह के बंट में प्रदर्श नक्शा 'अ' में वर्णित लाल रंग से दर्शायी गई रकबा 4.94 हैक्टेयर भूमि बंट में रखी गई व इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी के अन्य सहखातेदारान् के प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार मौके पर बंटवाडा कई वर्षों पूर्व किया जा चुका है तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज है किन्तु वादीयागण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 दुरभीसंधी कर हमारे हक व बंट की भूमि हड़प करना चाहते है। ऐसी सूरत में वादीया का वाद खारिज फरमावें तथा हम प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार बंटवाडा व खातेदारी की डिक्री हम प्रतिवादी संख्या 4 (अ, ब, स, द, ई) सादिर फरमावें।

इसी प्रकार विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 12 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने जवाबदावा के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीयागण मूला की संतान कतई नहीं है तथा वादीयागण द्वारा उक्त वाद गलत पेश किया गया है तथा वादीयागण द्वारा पेश वाद इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नहीं होने से पोषणीय नहीं है चुंकि हम प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी जरिये बेचान दस्तावेज के खरीद की गई है जो वादीयागण द्वारा उक्त वाद म्याद बाहर पेश किया गया है चुंकि मूला वल्द अजबा की मृत्यु दिनांक 26.04.2002 को हुई थी इस कारण वादीया का वाद काबिल निरस्त होने से खारिज फरमावें।

इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 16 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने जवाबदावा के तथ्यों को उजागर करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी अर्जुन व गणेशाराम से खरीद की गई है तथा मौके पर प्रतिवादीया का काश्त कब्जा है। वादीया द्वारा पेश वाद आधारहीन व गलत होने से खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व साक्ष्य का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से है :–

<u>तनकी संख्या 01 :–</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादीयागण पर होने से वादीयागण द्वारा गवाह पीडब्ल्यू–1 मफी देवी के बयान कलमबद्व करवाकर जमाबंदी प्रदर्श–पी1, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–2, मिशल बंदोबस्त प्रथम प्रदर्श–3 व 4, द्वितीय प्रदर्श 5 व 6 जमाबंदी प्रदर्श–7 व 8, नक्शा प्रदर्श–9, स्थगन आदेश प्रदर्श–10, आदेशिक अवमानना प्रदर्श–11, आधार कार्ड प्रदर्श–12ए, मूला के भाई उमा ने दावा पेश किया प्रदर्श–13, आदेशिका प्रदर्श–14, ग्राम पंचायत गोलासन द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रदर्श–15, जमाबंदी 2077 प्रदर्श–16 व 17, 18, 19, ग्राम पंचायत गौलासन द्वारा जारी उतराधिकारी प्रमाण पत्र प्रदर्श–20, जमाबंदी 2066 से 2069 प्रदर्श–21, बेचान दस्तावेज प्रदर्श–22, 23, 24, जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श–26ए, 27ए, जनआधार कार्ड प्रदर्श–28ए, भामाशाह कार्ड प्रदर्श–29ए, जन्म प्रमाण पत्र प्रदर्श–30ए व 31ए, शपथ–पत्र प्रदर्श–32ए व 33ए, तुलसी का आधार कार्ड प्रदर्श–34ए, तुलसी का जनआधार प्रदर्श–35ए व भामाशाह कार्ड प्रदर्श–36ए प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

किन्तु प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 2 वदु जो स्व. मूलाराम की बैवा औरत है तथा वादीयागण के वाद के तथ्यों अनुसार वादीया ने प्रतिवादी संख्या 2 को अपनी जन्म दाता माता माना है। वदुदेवी धर्मपत्नी मूलाराम, जाति–कलबी ने शपथ–पत्र (ईएक्सपी 33ए) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मफीदेवी एवं तलसी देवी उसकी जायन्दा पुत्रियां है। प्रतिवादीगण संख्या 4 (अ,ब,स,द,ई) द्वारा पेश जवाबदावे मे प्रतिवादीगण ने भी वादीयागण को उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीयागण के परिवार की पुश्तैनी संपति थी, और वादीयागण के अधिकार उक्त भूमि में बाई बर्थ निहित थे। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1052/703, 124, 125, 126, 238, 349, 350, 352, 684, 701, 702 रकबा 7.4680 हैक्टेयर खसरा संख्या 1054/704 रकबा 2.5550 हैक्टेयर, खसरा संख्या 353/748 रकबा 4.03 हैक्टेयर में मूला का पुश्तैनी रूप से 1/3 तथा खसरा संख्या 563, 564, 565, 566 रकबा 5.24 हैक्टेयर में 1/12 हिस्सा पुश्तैनी रूप से था। अर्थात् मूला को कुल 5.12 हैक्टेयर भूमि पुश्तैनी रूप से प्राप्त थी। जिसमें प्रार्थीयागण प्रत्येक का पारिवारिक भूमि मे हिस्सा बाई बर्थ निहित है। अतएवः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण से तनकी संख्या 01 वादीयागण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 02 :–</u> उक्त तनकी को सिद्व करने का जिम्मा वादीयागण पर है। इस संबंध में वादीयागण द्वारा उक्त वाद में बैचान दस्तावेज को अवैध व शून्य घोषित करवाने की इस्तदुआ चाही गई है। वादग्रस्त आराजीयात में वादीयागण मूला की पुत्रियां है एवं मूला की मृत्यु के पश्चात दर्ज नामान्तरकरण संख्या 65 दिनांक 20.09.2004 के द्वारा उनको बाई बर्थ प्राप्त अधिकार से वंचित किया गया है। मूल पुरूष मूला वादग्रस्त आराजी में 5.12 हैक्टेयर का खातेदार था, जो उसके वारिसान् वदूदेवी पत्नी मूला, राणाराम पुत्र मूला, मफीदेवी पुत्री मूला तथा तलसी पुत्री मूला में समान रूप से वितरित होनी थी परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा लॉ फुल ऑनर नहीं होते हुए भी वादग्रस्त आराजी में से दिनांक 30.06.2010 राणाराम द्वारा खसरा नंबर 704 में से 0.426 हैक्टेयर का बैचान प्रतिवादी संख्या 9 ईसराराम/देवजी एवं प्रतिवादी संख्या 10 महेन्द्र पुत्र दौला को कर दिया गया। 26.07.2010 को वदूदेवी द्वारा खसरा संख्या 704 में से 0.426 हैक्टेयर का बेचान प्रतिवादी संख्या 11 डूंगराराम पुत्र भलाराम एवं प्रतिवादी संख्या 10 महेन्द्र पुत्र दौलाराम को कर दिया गया। उसके पश्चात वदूदेवी पत्नी मूला द्वारा खसरा संख्या 124, 125, 126, 238, 349, 350, 352, 353/748, 684, 701, 702, 703, 563, 564, 565, 566 में से प्रतिवादी संख्या 2.2033 प्रतिवादी संख्या 12 तेजाराम पुत्र वालाराम, जाति–कलबी को बेचान कर दिया। वाद विचारण होने के दौरान राणाराम द्वारा खसरा संख्या 124, 125, 126, 238, 349, 350, 352, 353/748, 684, 701, 702, 703, 563, 564, 565, 566 में से प्रतिवादी संख्या 13 गणेशाराम पुत्र प्रागाराम तथा प्रतिवादी संख्या 14 अर्जुन पुत्र भगाराम को बेचान कर दिया। उक्त प्रतिवादी संख्या 13 और 14 ने उक्त भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 16 बबूदेवी पत्नी हरिराम, जाति–बिश्नोई को कर दिया। मूल पुरूष मूला की कुल भूमि 5.10 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को केवल 1.28+1.28=2.55 हैक्टेयर भूमि बैचान करने का अधिकार था। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा

सहायक कलेक्टर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

खसरा संख्या 704 में से कुल 0.85 हैक्टेयर तथा उसके पश्चात शेष उपरोक्त खसरों से अपने अधिकार से परे जाकर कुल 4.25 हैक्टेयर भूमि का बैचान कर दिया गया। अतः वादग्रस्त आराजी में उनके हिस्से 1.28+1.28=2.55 हैक्टेयर की सीमा से अधिक किये गये बैचान आरम्भतः शून्य है। प्रकरण की परिस्थितियों से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण पर क्रेता को सावधान रहने का सिद्वान्त लागू होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 65 दिनांक 20.09.2004 के पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा अपने पुश्तैनी हिस्से से अधिक किये गये हस्तानान्तरण प्रारम्भतः अवैध व शून्य होने से तनकी संख्या 02 वादीयागण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 03 :–</u> उक्त तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा वादीयागण पर होने से इस संबंध उक्त वादीयागण मफीदेवी एवं तलसीदेवी जायन्दा पुत्रियां है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीयागण की पुश्तैनी संपति और वादीयागण के अधिकार उक्त भूमि बॉय बर्थ निहित होने से तथा तनकी संख्या 1 एवं तनकी संख्या 2 वादीयागण अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया सफल रहने से वादीयागण उक्त आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा पाने की हकदार होने से तनकी संख्या 3 वादीयागण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 04 :–</u> उक्त तनकी सिद्ध करने का जिम्मा वादीया पर है, किन्तु उक्त तनकी विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात तय की जायेगी।

<u>तनकी संख्या 05 :–</u> उक्त तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा प्रतिवादी पर है, प्रतिवादी संख्या 4 (अ,ब,स,द,ई) द्वारा पेश वाद संख्या 70/201 में वादीयागण को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। वादीयागण द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा हेतु एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दर्ज करवाया है। समान आराजीयात् के विवाद के कारण दोनों वाद कन्सोलिडेट कर न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 5 प्रतिवादीगण संख्या 4 (अ,ब,स,द,ई) के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 06 :–</u> उक्त तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा प्रतिवादी पर होने से इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावा व काउन्टर क्लैम में तथ्य उजागर करने के पश्चात वादग्रस्त आराजी में अन्य सहखातेदारान् द्वारा समय समय पर प्रार्थना–पत्र पेश कर न्यायालय द्वारा उन्हें पक्षकारान् संयोजित कर दिया गया है। ऐसी सूरत में तनकी संख्या 6 प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 07 :–</u> उक्त तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर होने से प्रतिवादी संख्या 4 (अ, ब, स, द, ई) द्वारा हस्तगत प्रकरण में जवाबदावा मय काउन्टर क्लैम के साथ उक्त आराजी का पक्षकारान के मध्य पूर्व में बंटवाडा होने बाबत् तथा प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार मौके पर काश्त काबिज होने बाबत् काउन्टर क्लैम पेश किया गया साथ ही प्रतिवादी संख्या 4 (अ, ब, स, द, ई) द्वारा इस वाद के साथ कन्सोलिडेट पत्रावली बअनवान उमा बनाम छोगा के कायम मुकाम वगैरह प्रकरण संख्या

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (......) ......

/2014 पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 4 (अ,ब,स,द,ई) द्वारा पृथक से प्रस्तुत वाद संख्या 70/2014 में कब्जे के आधार पर बंटवाड़ा चाहा है। प्रतिवादीगण संख्या 4 (अ,ब,स,द,ई) वादग्रस्त आराजी कुल रकबा 20.12 हैक्टेयर में अपने हिस्से से अधिक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर 5.86 हैक्टेयर की खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं नक्शा प्रदर्श 'अ' के अनुसार बंटवाड़ा करवाने की इस्तदुआ मांगी है। न्याय का स्थापित सिद्वान्त है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है एवं सहखातेदारी के मामले मे प्रतिकूल कब्जा का सिद्वान्त लागू नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तनकी संख्या 7 प्रतिवादीगण संख्या 4 (अ,ब,स,द,ई) के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 08 :-</u> उक्त तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर है। इस संबंध मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो वादीयागण के वाद के तथ्यों अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 वादीयागण का भाई व प्रतिवादी संख्या 2 वादीयागण की जन्मदाता माता होना बताया है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 वादीयागण को अपनी पुत्री होना कतई स्वीकार नहीं करती है। वादीयागण द्वारा अपने साक्ष्य में सरकारी दस्तावेज जाति प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, जन्म प्रमाण–पत्र एवं ग्राम पंचायत गोलासन द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए है। वादीयागण की माता वदूदेवी पत्नी मूलाराम द्वारा एक शपथ–पत्र (प्रदर्श 33ए) प्रस्तुत कर वादीयागण को स्वयं की पुत्रियां माना है। प्रतिवादी संख्या 4 (अ,ब,स,द,ई) द्वारा अपने जवाबदावे एवं काउन्टर क्लैम में भी वादीयागण को मूला की उतराधिकारी बताया है। उपर्युक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर तनकी संख्या 8 प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 09 :-</u> उक्त तनकी सिद्ध करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर है, किन्तु वादीयागण द्वारा किसी भी पक्षकार को नामान्तरकरण अपील पेश करें या नहीं, किन्तु अगर किसी भी पक्ष को अपील पेश न करने की सूरत में वाद न लाने हेतु कानून की मंशा अनुसार बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत मे तनकी संख्या 9 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 10 :-</u> उक्त तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर होने से इस संबंध उक्त वादीयागण मफीदेवी एवं तलसीदेवी जायन्दा पुत्रियां है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीयागण की पुश्तैनी संपति और वादीयागण के अधिकार उक्त भूमि बॉय बर्थ निहित होने से तथा तनकी संख्या 1 एवं तनकी संख्या 2 वादीयागण अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया सफल रहने से वादीयागण उक्त आराजी पर वादीयागण का कब्जा काश्त साबित होने से तनकी संख्या 10 वादीयागण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 11 :-</u> उक्त तनकी का निर्णय तनकी संख्या 8 में किया जा चुका है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

तनकी संख्या 12 :– उक्त तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या 12 पर है किन्तु तनकी संख्या 01 व 02 वादीयागण के पक्ष में पूर्णतया निर्णित होने से उक्त तनकी वादीयागण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 13 :– उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी क्रमांक 9 लगायत 13 पर है। हिन्दू उतराधिकर अधिनियम में दिनांक 05.05.2005 के संशोधन से पुत्रियों को भी को पार्सनर माना गया है। इस संसोधन से, यदि वादीयागण/पुत्रियों को कोई भी अधिकार प्रोद्भूत हुए है, तो वे सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 13 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 14 :– उक्त तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में कथन किया है कि मूला व अजबा की मृत्यु 2004 में हुई तथा वाद 7 वर्ष की लंबी अवधि के पश्चात दायर करने से म्याद बाहर होने से काबिल खारिज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 में घोषणात्मक वाद दायर करने हेतु अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुसार कोई परिसीमा निर्धारित नहीं की गई है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 14 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 15 :– उक्त तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या 4 (अ, ब, स, द, ई) पर है परन्तु उक्त तनकी के संबंध में तनकी संख्या 7 में निर्णय दिया जा चुका है। ऐसी सूरत में तनकी संख्या 15 प्रतिवादी संख्या 4 (अ, ब, स, द, ई) के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 16 :– उक्त तनकी सिद्ध करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या 16 पर है। इस संबंध में उक्त वादग्रस्त आराजी पूर्व के खातेदारान् अर्जुन वल्द भगाराम व गणेशाराम पुत्र प्रागाराम से बएवज रूपये बारह लाख सासठ हजार दौ सौ रूपये से जरिये बैचान दस्तावेज के दिनांक 19.02.2021 को खरीदकर कब्जा प्राप्त करना बताया है जिसके संबंध में प्रतिवादीया संख्या 16 द्वारा बैचान दस्तावेज प्रदर्श डी–1ए पेश कर प्रदर्शित करवाया। माननीय राजस्व मण्डल ने लालूसिंह बनाम दयाला 1994 के मामले में अधिनिर्धारित किया कि एक व्यक्ति द्वारा अभिधारी होने का दावा करते हुए एक घोषणात्मक वाद दायर करने में कोई बाधा नहीं है। एक बार ऐसा व्यक्ति अपने नाम पर घोषणा प्राप्त कर लेता है, यधपि वह कब्जे में नहीं है, तब उसे उस अतिचार को बेदखल करने के लिए न्यायालय में शरण लेनी होगी। तनकी संख्या 01 व 02 वादीयागण के पक्ष में पूर्णतयाः निर्णित होने से उक्त तनकी वादीयागण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

:– आदेश –:

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार वादीयागण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा पहाड़पुरा के खेत खसरा संख्या 124 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 125 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा संख्या 126 रकबा 3.87 हैक्टेयर, खसरा संख्या 238 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा संख्या 349 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा संख्या 350 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या

सहायक कलक्टर एवं ... मजिस्ट्रेट
(फास्ट्ट्रेक) सांचौर

352 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 353/748 रकबा 4.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 684 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा संख्या 701 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 702 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1052/703 रकबा 1.89 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1054/704 रकबा 2.55 हैक्टेयर में से वादीयागण प्रत्येक को 1/12 हिस्से तथा खसरा संख्या 563 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 564 रकबा 2.61 हैक्टेयर, खसरा संख्या 565 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 566 रकबा 2.61 हैक्टेयर मे वादीयागण प्रत्येक के नाम 1/48 हिस्से भूमि की खातेदारी घोषित की जाती है तथा उपरोक्तानुसार वादीयागण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है तथा स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादीयागण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण न तो स्वयं दखलंदाजी करें तथा न ही किसी अन्य से करावें। मिट्स एण्ड बाउण्ड्स काश्त के आधार पर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवाड़ा किये जाने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेश दिये जाते है जिसकी पालना में प्राथमिक डिक्री का प्रस्ताव इस न्यायालय को शीघ्र प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पत्र मुर्तिब हो। पक्षकारान् अपना-अपना खर्चा वहन् करें।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक सांचौर, जिला-जालोर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रैक) सांचौर

निर्णय आज दिनांक 25/2/2026 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक सांचौर, जिला-जालोर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रैक) सांचौर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर फास्ट ट्रैक सांचौर (जालोर) जिला जालोर